राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3303/2024

हरि नारायण यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, झालावाड़।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.11.2024
आदेश की दिनांक : 25.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर दिनांक 18.01.1997 के आदेश द्वारा 1200–2050 के वेतनमान और 1200/– रुपये प्रतिमाह के मूल वेतन पर नियुक्त किया गया था तथा स्कूल सत्र तक अन्य भत्तों के साथ नियुक्ति दी गई थी तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनोटा ब्लॉक कोटपुतली बेहरोड़ जयपुर में पदस्थापना दी गई थी। (अनुलग्नक–1) नियुक्ति आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी ने दिनांक 27.3.1997 को अपनी सेवाएं शुरू कीं और अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को गर्मी की छुट्टियों के बदले वेतन और अन्य लाभ और वेतन वृद्धि देने से इनकार कर दिया। (अनुलग्नक–2) उसके बाद ग्रीष्मावकाश शुरू हो गया और अपीलार्थी को दिनांक 15.05.1996 को सेवा से हटा दिया गया तथा

कार्यमुक्त कर दिया गया तथा ग्रीष्मावकाश पूरा होने के बाद अपीलार्थी को दिनांक 28.06.1997 के आदेश द्वारा पुनः अध्यापक ग्रेड–III के पद पर नियुक्त किया गया जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि पूर्व में दी गई नियुक्ति को 1200–2050 रुपये के वेतनमान के साथ पुनः दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति दी गई तथा अपीलार्थी ने दिनांक 01.07.1997 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनोटा ब्लॉक कोटपुतली बेहरोड़ जयपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी को ग्रीष्मावकाश का वेतन दिया गया है। उसके बाद 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अपीलार्थी के पक्ष में चयन ग्रेड भी स्वीकृत किया गया है और प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलकर्ता के पक्ष में एक आदेश जारी किया है। इसी तरह अपीलार्थी को भी 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने के बाद चयन वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी की शिकायत यह है कि उसे दो बार नियुक्त किया गया था, पहली नियुक्ति गर्मी की छुट्टियों से पहले हुई थी और उसके बाद उसे हटा दिया गया और गर्मी की छुट्टियां पूरी होने के बाद उसे फिर से नियुक्त किया गया, इसलिए अपीलार्थी सेवा के लाभ और गर्मी की छुट्टियों के लिए वेतन पाने का हकदार था। प्रत्यर्थी विभाग ने उपरोक्त बातों से इनकार किया। अपीलार्थी की नियुक्ति के अनुसार वह गर्मी की छुट्टियों के वेतन का लाभ पाने का पूरा हकदार है। जोरावर सिंह बनाम राज्य एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 555 / 2003 के समान प्रकृति के मामले में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रिट याचिका को अनुमति दी और प्रतिवादियों को निर्देश जारी किए कि वे दिनांक 14.02.1992 को सरकारी सेवा में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि मानकर अपीलकर्ता को चयन ग्रेड की अनुमति दें। अपीलार्थी को वर्ष 1992 की छुट्टियों की अवधि के लिए वेतन सहित अन्य सभी सहायक और परिणामी लाभों का भी हकदार है। (अनुलग्नक–4) तत्पश्चात दिनांक 07.11.2006 के आदेश की अनुपालना में जिला शिक्षा अधिकारी जालोर ने जोरावर सिंह के मामले को वेतन निर्धारण हेतु अनुशंसित किया तथा ऐसे मामले में अपील न करने का निर्णय भी लिया। अपीलार्थी जैसे समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी अलग–अलग आदेशों के तहत ग्रीष्मावकाश के लिए परिणामी लाभ प्रदान किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अलवर ने दिनांक 07.11.2022 के आदेश के तहत ग्रीष्मावकाश से पहले प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से अभ्यर्थियों की सेवाओं की गणना की। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर ने दिनांक 14.02.2024 के आदेश के तहत समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को ग्रीष्मावकाश के निर्धारण का लाभ प्रदान किया तथा

जिला शिक्षा अधिकारी जालोर ने भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में ऐसे लाभ प्रदान किए। (अनुलग्नक–5) संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश भुगतान का लाभ भी दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने 07.03.2017 को एक पत्र जारी किया है जिसमें अभ्यर्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश वेतन का लाभ दिए जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। श्री योगेश कुमार पारीक ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3534/2009 योगेश कुमार पारीक बनाम राजस्थान राज्य और अन्य दायर की। उक्त रिट याचिका 20.1.2014 को माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आई और माननीय न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को गर्मी की छुट्टियों का वेतन सभी लाभों के साथ दें। दिनांक 20.1. 2014 का आदेश इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी विभाग के प्रभारी अधिकारी प्रतिवादियों की कार्रवाई को उचित नहीं ठहरा सके, क्योंकि परिपत्र दिनांक 28.07.2003 में स्पष्ट किया गया था कि यदि कर्मचारी को नियमित आधार पर परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है तो वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के वेतन का हकदार होगा, भले ही नियुक्ति 31 दिसंबर के बाद हुई हो। इसका कोई औचित्य नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निदेशक दिए जावे कि अपीलार्थी को वरिष्ठता, पदोन्नति और ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन प्रदान किया जावे तथा साथ ही उसकी सेवा की गणना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात दिनांक 18.01.1997 से करते हुए वेतन वृद्धि भी प्रदान की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह

पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)